Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

प्रार्थीगण	बनाम	**अप्रार्थीगण**
पेमाराम पुत्र लखाराम सुथार, निवासी पंडितों की बास, तहसील चामू, जिला जोधपुर।		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चामू, तहसील चामू, जिला जोधपुर।

किस्म मुकदमा **रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र** नं0 19 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
03.02.2025	प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र बाबत् आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी मय शपथ–पत्र राजस्व अपील को पुनः रेस्टोर किया जाकर को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी अपील को रेस्टोरेशन कर पुनः स्थापित करने की बहस में बतलाया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील संख्या 55/2024 जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2024 जो प्रकरण संख्या 04/2024 बअनवान सरकार बनाम पेमाराम में तहसीलदार चामू द्वारा पारित किया गया, के विरूद्ध न्यायालय हाजा में विचाराधीन थी। उक्त अपील में तारीख पेशी दिनांक 11.12.2024 नियत थी। उस दिन प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु देरी से पहुंचे, तब तक न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने की हिदायत नहीं थी तथा प्रार्थी/अपीलान्ट वकील की सद्भाविक त्रुटि थी जो जानबूझकर कारित नहीं की गई इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः रेस्टोर कर नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट अधिवक्ता जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे। अपीलार्थी अधिवक्ता की उक्त त्रुटि सद्भाविक होने से न्यायहित में प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 55/2024 बअनवान पेमाराम बनाम सरकार पुनः उसी नम्बर से रेस्टोर किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jawahar Chaudhary Date: 2025.03.25 18:27:03 IST Reason: SelfAttested अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) जोधपुर	